उत्तराखण्ड शासन

वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन

भाग- 1

(स्थानीय निधि लेखा परीक्षा)

एवं

(सहकारी समितियां एवं पंचायतें)

वित्तीय वर्ष

2010-11

प्रतिवेदकः निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह-स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय सूची

भाग – 1

(स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग)

(1)	प्रशासनिक खण्ड		
क्र0सं0	विवरण	कण्डिका	पृष्ठ संख्या
1	विभागीय प्राधिकार के श्रोत	2.1	1-2
2	सम्परीक्षाधीन लेखे	3.1-3.2	2
3	सम्परीक्षा के सोपान तथा तत्सम्बन्धी कार्य	4.1-4.2	2-3
4	प्रभागीय आय-व्ययक	5.1-5.3	3-4
5	प्रभागीय आय एवं व्यय का समन्वय	6.1-6.2	4
6	प्रभाग की प्रशासनिक व्यवस्था	7.1-7.4	4-5
7	प्रभाग की जनशक्ति	8	5
8	स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा वर्ष में सम्पादित सम्परीक्षा कार्य	9	6
9	सम्परीक्षा में उद्घाटित अनियमिततायें	10.1.1	6
10	विशेष सम्परीक्षायें	10.1.2	6
11	सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति	10.2.1	7
12	धर्मादा संदान निधि	11	7
13	लेखाकार परीक्षा का आयोजन	12	7
14	जिला पंचायतें, स्थानीय निकायों, जल संस्थानों के पेंशन एवं आनुतोषिक प्रकरणों का निस्तारण	13	7
15	निष्कर्ष	-	8
(2)	कार्यकारी खण्ड	-	9-31
(3)	परिशिष्ट,क,ख,ग,घ,ड.,च,छ व ज	-	32-46

1- प्रशासनिक खण्ड

भारतीय संघ के अधीन 09 नवम्बर, 2000 से उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ। उत्तरांचल शासन ने वित्त विभाग का संगठनात्मक ढांचे का अनुमोदन करते हुए वित्त विभाग की राजाज्ञा संख्या 5098/वि0स0शा0/2001 दिनांक 19 जून, 2001 द्वारा विभाग के संगठनात्मक ढांचे में स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग को निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तराखण्ड में सम्मिलित कर लिया गया है। पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के विधान उत्तराखण्ड राज्य पर भी इन्हें उपान्तरित किये जाने तक लागू है।

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम 1984 की धारा -8(3) के अन्तर्गत स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा पर आधारित वर्ष 2009-10 का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन राज्य के विधान सभा पटल पर रखा जा चुका है। स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा सम्परीक्षित लेखाओं पर आधारित वर्ष 2010-11 का वार्षिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन विधान सभा पटल पर रखने हेतु प्रस्तुत है।

2- विभागीय प्राधिकार के स्रोत :-

2.1 प्रदेशान्तर्गत अवस्थित स्थानीय निकायों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं के संगत नियमों एवं तदधीन निर्मित नियमावलियों एवं परिनियमावलियों आदि में यथास्थान शासन द्वारा इस बात की व्यवस्था की गयी है कि उक्त संस्थाओं की निधियाँ **''स्थानीय निधि'' (लोकल फण्ड)** के नाम से जानी जायेगी और उनके लेखाओं की लेखा परीक्षा निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तराखण्ड के स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा की जायेगी। संहत रुप से सभी स्थानीय निकायों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं की लेखा परीक्षा अनिवार्य रुप से इस विभाग के स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा किये जाने की दृष्टि से वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड -5 भाग-1 के पैरा 369 ''के'' में यह प्राविधान किया गया है कि निदेशक द्वारा राज्य सरकार से अनुदान पाने वाले सभी स्थानीय निकायों/संस्थाओं के लेखाओं की सम्परीक्षा करके अनुदानों के उपभोग से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र निर्धारित प्रारुप पर निर्गत किया जायेगा।

इस नियम में यह भी व्यवस्था है कि भारत सरकार की ओर से इन स्थानीय निकायों/संस्थाओं के कार्यकलाप पर दृष्टि रखने के लिए निदेशक द्वारा वर्षान्त में संहत रुप से वर्षान्तर्गत स्वीकृत अनुदानों के उपभोग की स्थिति से महालेखाकार को सूचित किया जायेगा, जिससे शासन द्वारा प्रदेश के लोक सेवा निधि से स्वीकृत किये गये अनुदानों के सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट हो सके कि सम्बन्धित निकायों/संस्थाओं द्वारा इन अनुदानों का उपभोग उन्ही प्रयोजनों के निमित्त किया गया है अथवा नहीं, जिनके लिये वे स्वीकृत किये गये थे तथा उन संगत नियमों का पालन किया गया है अथवा नहीं, जिनके अन्तर्गत उन्हें उक्त धनराशियों का उपभोग करना था। शर्तो एवं प्रतिबन्धों के उल्लंघन की स्थिति से प्रतिवेदन में यथास्थान उल्लेख किया गया है।

2.2 उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम 1984 (उत्तर प्रदेश के अधिनियम संख्या 12 सन् 1984) जो कि दिनांक 30 अप्रैल, 1984 से प्रवृत्त हुआ तथा जो नवसृजित उत्तरांचल राज्य में भी समान रुप से प्रभावी है, की धारा-4(2) के अन्तर्गत विधान मण्डल ने इस विभाग को यह शक्ति भी प्रदान की है कि ऐसे स्थानीय प्राधिकारी के लेखाओं की परीक्षा पूर्णतया ऐसे किसी अधिनियम में जिसके द्वारा या अधीन स्थानीय प्राधिकारी का गठन किया गया है, उसके अधीन बनाये गये किसी नियम में किसी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के दौरान या अधीन उपबन्धित रीति से की जायेगी।

2.3 उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम 1984 में प्रादेशिक विधान मण्डल द्वारा उपर्युक्त स्पष्ट आदेश पारित करने के उपरान्त अब स्थिति यह है कि प्रदेशान्तर्गत स्थित सभी स्थानीय निकायों एवं अनुदानित संस्थाओं की सम्परीक्षा अनिवार्यतः निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तराखण्ड के स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा की जानी है।

3- सम्परीक्षाधीन लेखे -

3.1 वर्ष में 2010-11 में सम्परीक्षाधीन संस्थाओं के लेखाओं की संख्या 1002 थी। उप सम्परीक्षा से सम्बन्धित 986 संस्थाओं के विवरण संलग्न **परिशिष्ट ''क'' भाग-1** में दिये गये हैं। शेष सम्वर्ती सम्परीक्षा एवं शतप्रतिशत लेखा परीक्षा से सम्बन्धित 16 संस्थाओं की सूची **परिशिष्ट ''क'' भाग-2** के रुप में संलग्न है।

3.2 सम्परीक्षाधीन प्रमुख स्थानीय निकायों तथा संस्थाओं के संगत अधिनियमों आदि जिसके आधार पर सम्परीक्षा की गयी है, की सूची **परिशिष्ट ''ख''** में दी गई है।

4- सम्परीक्षा के सोपान तथा तत्सम्बन्धी कार्य : -

4.1 शासन द्वारा स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग को प्रदेश की स्थानीय निकायों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं को स्वीकृत किये गये वित्तीय अनुदानों एवं ऋणों आदि का उपभोग सुनिश्चित करने के लिए इन स्थानीय निकायों एवं संस्थाओं की सकल आय एवं व्यय की सम्परीक्षा का दायित्व दिया गया है जिससे सम्परीक्षा के माध्यम से शासन एवं विधान मण्डल को यह ज्ञात होता रहे कि इन संस्थाओं की स्थापना सम्बन्धी विशिष्ट अधिनियमों में अपेक्षित जन आकांक्षाओं की पूर्ति इनके द्वारा की जा रही है अथवा नहीं। अतः इस सन्दर्भ में सम्परीक्षा का कार्य मात्र लेखा परीक्षा न रहकर संस्था के सम्बन्ध में वित्तीय अनुशासन से जुडे सभी पहलुओं की समीक्षा का एक गुरुत्तर दायित्व भी हो जाता है।

4.2 स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग के कार्यकलाप निम्नवत् हैं :-

- 1- सम्परीक्षित स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, निगमित एवं अनिगमित निकायों, विश्वविद्यालयों, सहायता प्राप्त अशासकीय शिक्षण संस्थाओं एवं प्रशिक्षण संस्थाओं, महाविद्यालयों, अन्य शिक्षण संस्थाओं एवं शासन द्वारा सौंपे गये अन्य शासकीय/अशासकीय संगठनों आदि के विविध लेखों की नियमित सम्परीक्षा करना एवं परिणाम से संस्थाओं तथा शासन को सूचित करना।
- 2- उपर्युक्त संस्थाओं का वित्तीय मार्ग दर्शन करना।
- 3- उपर्युक्त संस्थाओं द्वारा सन्दर्भित प्रकरणों पर अभिमत देना।

- 4- सम्परीक्षा के उपरान्त यथा आवश्यक अनुदानों के उपभोग से सम्बन्धित उपभोग प्रमाण पत्र निर्गत करना।
- 5- नगर पालिका परिषदों, नगर पंचायतों, जल संस्थानों, जिला पंचायतों, बद्रीनाथ-केदारनाथ मन्दिर समिति के सेवा निवृत्त कर्मचारियों को देय पेंशन एवं उपादान की पुष्टि एवं संस्तुति करना।
- 6- महालेखाकार को उपर्युक्त संस्थाओं को स्वीकृत अनुदानों के उपभोग के सम्बन्ध में संहत आख्या प्रस्तुत करना।
- 7- नगर पालिका परिषदों, जिला पंचायतों, नगर निगम, विकास प्राधिकरणों एवं जल संस्थानों के लेखाकार परीक्षा का आयोजन करना।
- 8- विभाग के नवनियुक्त लेखा परीक्षकों एवं जिला सम्परीक्षा अधिकारियों को आधारभूत प्रशिक्षण तथा विभागीय अधिकारियों एवं लेखा परीक्षा कर्मियों को अल्पकालिक प्रशिक्षण देना।
- 9- सेवारत विभागीय कर्मचारियों एवं अधिकारियों को मार्गदर्शन एवं उन्हें सम्परीक्षा से सम्बन्धित अद्यतन शासकीय आदेशों से युक्त करने के लिये उनका प्रत्यास्मरण प्रशिक्षण आयोजित करना।
- 10- स्थानीय निकाय के लेखा कर्मियों को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण देना।
- 11 विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों एवं विशिष्ट क्षेत्रों में निष्णात् गणमान्य व्यक्तियों की संगोष्ठयाँ आयोजित करना।
- 12- धर्मादा सन्दान न्यासों के निधियों को विनियोजित करने तथा उन पर प्राप्त ब्याज को प्रादेशिक एवं भारत सरकार के न्यासों को संवितरण करना।
- 13- प्रभागीय कार्यकलापों सहित संहत वार्षिक प्रतिवेदन विधान मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करना।
- 14- सम्परीक्षाधीन लेखाओं पर नियमानुसार सम्परीक्षा शुल्क आरोपित करना तथा उनकी वसूली करना।
- 15- सम्परीक्षाधीन स्थानीय प्राधिकारियों के अधिनियम एवं परिनियमों के संगत प्रावधानों के अन्तर्गत क्षति, कपट, दुरूपयोग आदि के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों के विरूद्ध अधिभार कार्यवाही करना।
- 16- उपर्युक्त स्थानीय निकायों/ संस्थाओं एवं शासन द्वारा सौंपे गये अन्य लेखाओं की आवश्यकतानुसार विशेष सम्परीक्षा सम्पादित करना।
- 17- शासन द्वारा सौंपे गये अन्य कार्यो पर शासन को आख्या प्रस्तुत करना।

5- <u>प्रभागीय आय-व्ययक :-</u>

5.1 यद्यपि स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा स्थानीय निकायों स्वायतशासी संस्थाओं व अन्य निगमित एवं अनिगमित संस्थाओं आदि की सम्परीक्षा की जाती है, यह प्रभाग पूर्णतया उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग के अधीन है।

5.2 इस प्रभाग की समस्त प्राप्तियाँ प्रादेशिक राजकोष में जमा होती हैं तथा विधान मण्डल द्वारा स्वीकृत प्रादेशिक आय-व्ययक के माध्यम से राज्य निधि से विभागीय व्यय हेतु धन उपलब्ध कराया जाता है।

5.3 लेखा परीक्षा शुल्क विभागीय आय का मुख्य स्रोत है। सम्परीक्षा शुल्क का आरोपण शासन द्वारा निधारित दरों पर किया जाता है, जो सम्परीक्षित संस्था द्वारा सीधे राजकोष में जमा किया जाता है। वर्तमान में निर्धारित सम्परीक्षा शुल्क की दरें **परिशिष्ट ''ग''** उत्तराखण्ड राज्य में लागू है।

<u>6- प्रभागीय आय एवं व्यय का समन्वय :-</u> वित्तीय वर्ष 2010-11 में प्रभागीय व्यय एवं इस वर्ष में आरोपित सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति निम्नवत् है :-

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	व्यय (रुपये)	आरोपित सम्प० शुल्क (रुपये)
1-	2010-11	28268420	14828801

6.2 स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा कृत कार्य सेवा प्रकृति (सर्विस नेचर) के हैं जिन पर होने वाले व्यय की तुलना आरोपित शुल्क से नहीं की जा सकती है।

<u>7.1- प्रभाग की प्रशासनिक व्यवस्था</u> :- उत्तरांचल शासन के वित्त विभाग के शा० सं० 5058/ वि०शा०स० /2001 दिनांक 19 जून, 2001 द्वारा सम्परीक्षा का कार्य निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तरांचल के नियन्त्रणाधीन एक प्रभाग के रुप में कार्यरत है, जिसकी प्रशासनिक व्यवस्था मुख्यतः द्वस्तिरीय है :-

(1) मुख्यालय स्तरीय।

(2) जिला स्तरीय।

जनपदीय कार्यालयों की सूची **परिशिष्ट ''घ''** में दी गयी है। उक्त के अतिरिक्त सम्वर्ती सम्परीक्षा कार्यालय भी है जिन पर प्रशासनिक नियन्त्रण निदेशालय द्वारा होता है। सम्वर्ती कार्यालयों की सूची **परिशिष्ट ''ड.''** में दी गयी है।

<u>7.2-1- मुख्यालय स्तर :-</u> स्थानीय निधि लेखा परीक्षा का प्रधान कार्यालय देहरादून में स्थित है, जो निदेशालय कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिट नाम से जाना जाता है। इसके विभागाध्यक्ष निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर उत्तराखण्ड हैं जिन्हें अपने कार्यो के साथ-साथ पदेन रुप से कोषाध्यक्ष धर्मादा संदान उत्तराखण्ड तथा भारतीय धर्मादा सन्दान के उत्तराखण्ड वृत्त के कार्यो का भी सम्पादन करना पड़ता है।

7.2 -2 – मुख्यालय पर निदेशक के सहयोगी के रुप में अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, उप निदेशक, सहायक निदेशक तथा अन्य अधीनस्थ कर्मचारियों के पद स्वीकृत हैं जिसका विवरण प्रस्तर-८ में दिया गया है। वर्तमान में जनपदों की प्रमुख बडी संस्थाओं जैसे :- नगर निगम, वन निगम, मण्डी परिषद, नगर पालिका परिषदों, विकास प्राधिकरणों, मन्दिर समितियों, इन्जीनियरिंग कालेजों, विश्वविद्यालयों आदि के लेखाओं की लेखा परीक्षा के कार्य का पर्यवेक्षण, इन निकायों के सेवा निवृत्त कर्मचारियों के पेंशन एवं आनुतोषिक के सत्यापन एवं पुष्टीकरण का कार्य मुख्यालय स्तर पर कार्यरत अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

7.3 – जनपद स्तरीय :- लेखा परीक्षाधीन इकाईयॉं राज्य के शहरी क्षेत्र से लेकर सुदूर ग्रामीण अंचलों तक में स्थित है। विभाग के लेखा परीक्षा कर्मी सभी जनपदों में नियुक्त कर दिये जाते हैं जो सम्बन्धित जनपद में स्थित परीक्षाधीन ईकाइयों की लेखा परीक्षा करते रहते हैं। उनके कार्यो पर स्थानीय नियन्त्रण, पर्यवेक्षण एवं मार्ग दर्शन हेतु जनपद स्तर पर जिला सम्परीक्षा अधिकारी के कार्यालय स्थापित हैं प्रदेश के 13 जिलों में से अब तक 09 जिलों में जिला सम्परीक्षा अधिकारी कार्यालय स्थापित हैं। शेष जनपदों में अभी तक जनपदीय कार्यालय नहीं खोले जा सके हैं। अतः निकटवर्ती जिला सम्परीक्षा अधिकारी द्वारा ही उन जनपदों के कार्यो का सम्पादन किया जा रहा है।

7.4 – राज्य स्तरीय :- शासनादेश संख्या वि०अनु० -1/2003 दिनांक 03 सितम्बर, 2003 द्वारा उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उधमसिंहनगर एवं वन विकास निगम नरेन्द्रनगर में सम्परीक्षा अधिकारियों के कार्यालय स्थापित किये गये हैं।

8- प्रभाग की जनशाक्ति :- वर्ष 2010-11 के अन्त में स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग में श्रेणीवार स्वीकृत पदों एवं उन पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण निम्नवत् रहा है।

क्र० सं०	अधिकारी/कर्मचारी का समूह	स्वीकृत पद	कार्यरत संख्या	कार्यरत कर्मियों का प्रतिशत
1-	समूह ''क''	04	02	50.00
2-	समूह ''ख'' 1. सहायक निदेशक 2. जिला सम्परीक्षा अधिकारी 3. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	 05 11 01	 0 8+1 01	52.94
3-	समूह ''ग''			
	(1) सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी	14	09	64.28
	(2) वरिष्ठ लेखा परीक्षक ग्रेड-1	04	03	75.00
	(3) वरिष्ठ लेखा परीक्षक	82	13	15.85
	(4) लेखा परीक्षक	20	0	0
	(5) आशुलिपिक	03	0	0
	(6) प्रशासनिक अधिकारी	07	07	100
	(7) मुख्य सहायक	07	05	71.42
	(8) प्रवर सहायक	12	0	0
	(9) कनिष्ठ सहायक	13	03	23.07
	(10) वाहन चालक	03	01	33.33
4-	समूह ''घ''	61	11	18.03
	योग	247	63+1	25.91

9- स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा वर्ष में सम्पादित कार्य :- वर्ष 2010-11 में 25.91 प्रतिशत लेखा परीक्षा पदों के रिक्त रहने के उपरान्त भी सम्परीक्षाधीन 1002 लेखाओं में से 117 लेखाओं की सम्परीक्षा पूर्ण की गई। शेष 885 लेखाओं की सम्परीक्षा जनशक्ति की कमी के कारण सम्पादित नहीं करायी जा सकी। उक्त के अतिरिक्त शासन के आदेशानुसार महाकुम्भ 2010 के अस्थायी कार्यों की सम्परीक्षा सम्पन्न करायी गयी ।

10.1.1 – सम्परीक्षा में उदघाटित अनियमिततायें :-

(क) स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग द्वारा वर्ष 2010-11 तक में सम्परीक्षित लेखाओं में उदघाटित विशिष्ट अनियमितताओं के अन्तर्गत कुल रु० **466367185** की धनराशि अन्तर्निहित थी जिसका शीर्षकवार विवरण निम्नानुसार है

क्रमांक	शीर्षक	धनराशि (रु० में)
1-	व्यपहरण	00
2-	अधिक/अनियमित/परिहार्य व्यय	11928865
3-	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमिततायें	7826366
4-	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें	6828255
5-	आर्थिक क्षति	192514101
6-	राजस्व क्षति	18388775
7-	दुर्विनियोग	110041334
8-	अनानुमोदित व्यय/विविध अनियमिततायें	11479789
	योग	466367185

(ख) प्रदेश में स्थित सम्परीक्षाधीन संस्थाओं पर 31 मार्च, 2011 तक लम्बित आडिट आपत्तियों का विवरण **परिशिष्ट "च"** में दिया गया है। इसके अनुसार वर्ष में संस्थाओं द्वारा मात्र 900 आडिट आपत्तियों का निस्तारण कराया गया।

10.1.2 – विशेष सम्परीक्षाऐं :-- प्रभाग के सम्परीक्षाधीन संस्थाओं के बारे में अत्यन्त गम्भीर प्रकृति यथा गबन/दुर्विनियोग/आर्थिक क्षति से सम्बन्धित की विशेष जॉच, संस्था, अथवा जिलाधिकारी या आयुक्त के अनुरोध पर शासन की स्वीकृति से सम्पादित की जाती है।

10.2.1 – सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति :- वर्ष 2010-11 में आरोपित एवं वसूल किये गये सम्परीक्षा शुल्क की स्थिति निम्नवत् थी :-

	(रुपयों में)
01 अप्रैल, 2010 को प्रारम्भिक शेष	76547435.00
वर्ष में स्थापित मॉग	14828801.00
योग	91376236.00
वर्ष में समाहरण	14626998.00
31 मार्च, 2011 को बकाया	**76749238.00**

10.2.2 – उपर्युक्त से स्पष्ट है कि विभाग द्वारा आरोपित लेखा परीक्षा शुल्क की वसूली करने का पूरा प्रयास किया गया। इन्ही प्रयासों के फलस्वरुप वर्तमान वित्तीय वर्ष में एक करोड चौहत्तर लाख बारह हजार पाँच सौ बीस रुपये की वसूली हुई है जिसमे गत वर्ष का बकाया भी सम्मिलित है उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा अधिनियम – 1984 की धारा 4(4) के अधीन केवल शासन को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सम्बन्धित स्थानीय निधि/संस्थाओं के बैंकर्स को सम्बन्धित जिलाधिकारी के माध्यम से यह आदेश दे सकते हैं कि उनके बैंक खातों से सम्परीक्षा शुल्क की धनराशि राजकीय कोषागार के निर्दिष्ट लेखा शीर्षक में अन्तरित कर दे। इस सम्बन्ध में उत्तराखण्ड स्थानीय निधि/निकाय लेखा परीक्षा नियमावली, 2001 का प्रख्यापन होना अभी अपेक्षित है ताकि शुल्क वसूली हेतु नियमावली के प्राविधानों के अधीन रहते हुए विभाग स्तर पर प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जा सके।

11. धर्मादा संदान निधि - चैरीटेबुल एण्डाउमेन्ट एक्ट 1890 (एक्ट आफ 1890) की धारा-3 के अधीन उत्तरांचल की भौगोलिक सीमा में स्थित न्यासों की परिसम्पतियों के लिये निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इण्टरनल आडिटर, उत्तराखण्ड को शासनादेश संख्या 163/xxvii(2)/2005 दिनांक 06 अक्टूबर, 2005 द्वारा कोषपाल, खैरासी निधि नियुक्त किया गया है। इनका विवरण **परिशिष्ट ''छ''** में दिया गया है।

(1) वर्ष 2010-11 में प्रतिभूतियों से प्राप्त ब्याज का 98 प्रतिशत रू0 **144753** के भुगतान आदेश सम्बन्धित न्यासों को प्रेषित किये गये तथा 02 प्रतिशत राजकोष में जमा किया गया ।

12- लेखाकार परीक्षा का आयोजन :- दिसम्बर, 2010 में जिला पंचायत लेखाकार परीक्षा का आयोजन किया गया जिसमें 09 परीक्षार्थियों द्वारा भाग लिया गया तथा 06 परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुये।

13– जिला पंचायतों, स्थानीय निकायों, जल संस्थानों के पेंशन एवं आनुतोषिक प्रकरणों का निस्तारण वर्ष 2010–11 में प्रकरणों की प्राप्ति एवं उनके निस्तारण की स्थिति निम्नवत् थी :–

वर्ष के प्रारम्भ में शेष	वर्ष में प्राप्त	वर्ष में निस्तारित	अवशेष
08	1527	1497	38

14- निष्कर्ष -

उपर्युक्त प्रतिवेदन के साथ संलग्न **परिशिष्ट ''क''** से स्पष्ट है कि इस प्रभाग को वर्ष 2010-11 में 1002 लेखाओं की लेखा परीक्षा सम्पादित करनी थी। जनशक्ति की भारी कमी के कारण सम्परीक्षा शुल्क देने वाली स्थानीय निकायों एवं संस्थाओं की सम्परीक्षा को वरीयता देते हुए पूर्ण कराने का लक्ष्य निश्चित करते हुए मात्र 117 लेखाओं की लेखा परीक्षा समाप्त करायी गयी।

आलोच्य वर्ष में सम्परीक्षित संस्थाओं के लेखाओं से सम्परीक्षा आख्याओं के आधार पर पूर्वोक्त कण्डिका 10(1) में वर्णित रु० **466367185** की गम्भीर वित्तीय अनियमिततायें प्रकाश में आयी जिनमें व्यपहरण, दुर्विनियोग, अधिक एवं अनियमित भुगतान, आर्थिक क्षति, राजस्व की क्षति आदि प्रकरण समाविष्ट हैं।

(शरद चन्द्र पाण्डेय)
निदेशक

2- कार्यकारी खण्ड

स्थानीय निधि लेखा परीक्षा प्रभाग, उत्तराखण्ड

(वर्ष 2010-11)

वर्ष 2010-11 में जिन संस्थाओं की सम्परीक्षा सम्पादित की गयी, उनमें उदघाटित वित्तीय अनियमितताओं से सम्बन्धित प्रकरण अनुवर्ती पृष्ठों तथा सम्बन्धित संस्थाओं के खण्ड में दिये जा रहे हैं। इन वित्तीय अनियमितताओं में अन्तर्निहित धनराशियों के संस्थावार विवरण निम्न प्रकार हैं :-

क्र० सं०	लेखे की श्रेणी	अनियमितता में अन्तर्निहित धनराशि (रु० में)
1	नगर पालिका परिषदें	45609770
2	नगर पंचायतें	10080875
3	कृषि उत्पादन मण्डी समितियॉं	8361403
4	कृषि उत्पादन मण्डी परिषद	91768088
5	इंजीनियरिंग कालेज	171170
6	विश्वविद्यालय, सम्वर्ती सम्परीक्षा	302944555
7	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	7431324
	योग	**466367185**

टिप्पणी – विस्तृत विवरण परिशिष्ट ''ज'' में दिया गया है।

वर्ष 2009-10–में सम्पन्न सम्परीक्षायें

नगर पालिका परिषदें

1- नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश (वर्ष 2009-10)

(1)- राजस्व की क्षति –

नगर पालिका द्वारा वर्ष 2009-10 में पार्किंग एवं तह बाजारी के ठेके का अनुबन्ध निर्धारित स्टाम्प पर नहीं कराया गया था जिससे रू0 7042.00 के राजस्व की क्षति हुयी थी।

(स0टि0 भाग- दो (ब) आपत्ति संख्या 1 (ग))

(2)- दुर्विनियोग –

नगर पालिका द्वारा समय-समय पर दिये गये अस्थाई अग्रिम का समायोजन न कराये न किये जाने के कारण रू0 168242.97 दुर्विनियोग किया गया।

(स0टि0 भाग- दो (ब) आपत्ति संख्या 1 (घ))

2- नगर पालिका परिषद, मसूरी (वर्ष 2008-09)

(1)- दुर्विनियोग –

नगर पालिका द्वारा विविध कार्यों के सम्पादन हेतु 31 मार्च, 2008 को रू0 7164173 तथा 31 मार्च, 2009 को रू0 4225584 कुल रू0 11389757 कोषागार देहरादून से वैयक्तिक खाता संख्या 2662 में जमा किया गया था। वित्तीय हस्तपुस्तिका (खण्ड-5) मूल नियम 162 के अनुसार अपरिहार्य अदायगी के अन्तर्गत किसी धनराशि का कोषागार से प्रत्याहरण नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि यह तत्काल संवितरण के लिये आवश्यक न हो। सन्दर्भित धनराशि रू0 11389757 कोषागार से अग्रिम आहरण कर पालिका खाते में जमा किया जाना गम्भीर वित्तीय अनियमितिता थी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर 1 (ग)

(2)- राजस्व क्षति –

(1) नगर पालिका द्वारा वर्ष 2008-09 में विभिन्न कार्यों के लिये निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपरों पर अनुबन्ध नहीं कराया गया था जबकि स्टाम्प शुल्क की दर सामान्य क्षेत्र में रू0 80.00 तथा विकसित क्षेत्र में रू0 100.00 प्रति हजार देय था। निर्धारित दर से स्टाम्प शुल्क पर अनुब्ध न कराये जाने से रू0 211314.00 के राजस्व की क्षति हुयी थी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर 1 (ढ)

(2) नगर पालिका द्वारा विभिन्न ठेकों की गत एवं विगत वर्षों की बकाया वसूली नहीं की गयी थी और न ही इस सम्बन्ध में ठेकेदारों को ठेके की बकाया वसूली हेतु नोटिस इत्यादि दिये गये थे जिससे ठेके की बकाया धनराशि में निरन्तर वृद्वि हो रही थी। अतः पालिका के इस मद में सम्परीक्षा वर्ष तक रू0 2886326 के आय की क्षति हुयी थी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर 1 (ण)

3- नगर पालिका परिषद, नैनीताल (वर्ष 2007-08 से 2008-09)

(1) अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान –

विभिन्न पदों पर दैनिक/संविदा पर नियुक्ति कर के पालिका परिषद द्वारा पारिश्रमिक के रूप में रू0 296605/- का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग- दो (ब) प्रस्तर 1 (द)

(2) अधिष्ठान एवं वेतन निर्धारण से सम्बन्धित अनियमिततायें-

श्री मदन सिंह ठठोला, लिपिक प्रथम श्रेणी का वेतन त्रृटिपूर्ण निर्धारण होने के कारण रू0 56301.00 का इन्हें अधिक भुगतान कर दिया गया था।

भाग- दो (ब) प्रस्तर 1 (फ)

(3) आय/राजस्व की क्षति से सम्बन्धित अनियमिततायें-

(1) सफाई कर की वसूली न किये जाने से पालिका परिषद को रू0 6505822/- के आय की क्षति हुयी थी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर 1 (क)

(2) किराये की वसूली न किये जाने के कारण पालिका परिषद को सम्परीक्षा अवधि तक रू0 3044782/- आर्थिक क्षति हुयी थी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर 1 (ग)

(3) अस्थायी भूखण्ड किराया न वसूल किये जाने के कारण पालिका परिषद को रू0 1677913 के आय की क्षति हुयी थी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर 1 (घ)

4- नगर पालिका परिषद, बाजपुर (वर्ष 2009-10)

(1) राजस्व की क्षति –

ठेकों की नीलामी में निर्धारित राशि के स्टैम्प पत्रों पर अनुबन्ध न किये जाने से रू0 141396 की राजस्व की क्षति हुयी थी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर 1 (ङ)

2. आवंटित दुकानों के प्रीमियम की धनराशि रू0 636500 वसूल न किये जाने से पालिका परिषद को रू0 636500 की आर्थिक क्षति हुयी थी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर 1 (च)

(2) <u>अमान्य भुगतान -</u>

बिना पद सृजन के ही दैनिक वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को पुनरीक्षित पारिश्रमिक रू0 493785 का अधिक भुगतान किया गया था।

भाग- दो (ब) प्रस्तर 1 (त)

5- नगर पालिका परिषद, जसपुर (वर्ष 2008-09)

(1) <u>अनियमित भुगतान –</u>

असृजित पदों पर 27 संविदा कर्मियों को संविदा पर नियुक्त करके पालिका द्वारा रू0 505535 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग- दो (ब) प्रस्तर 1 (ठ)

6- नगर पालिका परिषद, किच्छा (वर्ष 2008-09)

<u>1. अधिक/अनियमित/परिहार्य व्यय –</u>

1. असृजित पदों पर संविदा कर्मियों को नियुक्त करके पालिका परिषद द्वारा रू0 1526454 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग- दो (ब) प्रस्तर 1 (ञ)

2. पालिका द्वारा बिना आकलन स्वीकृत कराये ही हाईटेक शौचालय को निर्माण पर रू0 66126.62 का अनियमित भुगतान किया गया।

भाग- दो (ब) प्रस्तर 1 (ण)

<u>2. आय की क्षति/राजस्व की क्षति -</u>

उत्तर प्रदेश सरकार से स्टाम्प डयूटि न वसूल किये जाने के कारण पालिका परिषद को रू0 238379 के आय की क्षति हुयी थी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर 1 (ट)

7- नगर पालिका परिषद, रूद्रपुर (वर्ष 2009-10)

(1) <u>अनियमित/अमान्य व्यय –</u>

1. असृजित पदों पर कर्मियों की नियुक्ति करके उनके वेतनादि पर पालिका द्वारा रूपये 609286 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (छ)

2. नवोदय विद्यालय परिसर में सी0सी0निर्माण पर रू0 736313.70 का अमान्य व्यय किया गया था।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (फ)

3. प्राथमिक विद्यालय भूतबंगला में बाउन्ड्रीवाल एवं फर्श निर्माण का कार्य कराये जाने पर पालिका परिषद द्वारा रू0 437211 का अनियमित भुगातान किया गया था।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (न)

(2) <u>राजस्व की क्षति –</u>

विभिन्न ठेंकों के अनुबन्धों में निर्धारित मूल्य के स्टैम्प पेपर पर अनुबन्ध नहीं किये जाने से रूपये 294140 के राजस्व की क्षति हुयी थी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (च)

(3) <u>आर्थिक क्षति –</u>

1. तहबाजारी का ठेका गत वर्ष की तुलना में कम धनराशि पर होने के कारण पालिका परिषद को रू0 735000 की आर्थिक क्षति हुयी थी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (ङ)

2. गृह कर का पुनरीक्षण न किये जाने से पालिका परिषद को रू0 4568157 की आर्थिक क्षति हुयी थी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (झ)

3. उप नियमों के अनुसार अर्थदण्ड की वसूली न करने एवं व्यवसायिक लाइसेंसों का नवीनीकरण न कराये जाने से पालिका परिषद को रू0 42210 की आर्थिक क्षति हुयी थी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (क) (ख)

<u>8- नगर पालिका परिषद, मंगलौर (हरिद्वार) (वर्ष 2009-10)</u>

(1) <u>अधिक/अनियमित/अमान्य व्यय –</u>

1. पर्वतीय विकास भत्ते के रूप में पालिका कर्मचारियों को माह अप्रैल 09 से दिसम्बर 09 तक शासनादेश के प्रावधानों के विरूद्व रूप से रूपये 46530.00 का अधिक भुगतान किया गया।

भाग- दो (ब) आपत्ति सं0 – 1 (1)

<u>2-आय/राजस्व की क्षति-</u>

1. कार्यालय परिसरों में रिवाल्विंग फंड से निर्मित खाली दुकानों को किराये पर न दिये जाने के फलस्वरूप पालिका को न्यूनतम प्रीमियम राशि रू0 101000/- तथा प्रतिमाह किराया रू0 1000 की आर्थिक क्षति हुयी थी।

भाग- दो (ब) आपत्ति सं0 – 1 (5)

2. ठेका तहबाजारी वर्ष 2009-10 कम दरों पर स्वीकृत किये जाने के फलस्वरूप पालिका को रू0 7800 थी। आर्थिक क्षति तथा ठेके का निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पर अनुबन्ध न कराये जाने के फलस्वरूप रू0 26500 के राजकीय राजस्व एवं आयकर वसूल न किये जाने के फलस्वरूप रू0 5320 कुल रू0 31820 के राजस्व की क्षति हुयी थी।

भाग- दो (ब) आपत्ति सं0 – 1 (6)

9- नगर पालिका परिषद, रूडकी (हरिद्वार) (वर्ष 2009-10)

1- अधिक/अनियमित एवं परिहार्य व्यय-

1. गलियों में सी0सी0 निर्माण कार्यों में श्री योगेन्द्र कुमार स्वामी, ठेकेदार से विलम्ब शुल्क न लेने के कारण रूपये 1900=00 का अधिक भुगातन किया गया था।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (क)

2. मस्टर रोल के बिना रू0 279400=00 का भुगतान स्वच्छता समितियों को किया गया था, यह अनियमित था।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (क)(V)

3. शासनादेश संख्या 75/प्र0स0सु0/2009 दिनांक 09.10.2009 के विपरीत सीधे विज्ञापन जारी कर रू0 37000=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (क)(VI)

2- अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमिततायें-

1. नगर पालिका में लागू शासनादेशानुसार श्री तेजपाल सिंह वर्मा को देय वाहन भत्ता रूपये 120=00 था जबकि रूपये 350=00 दिया गया। अतः आलोच्य अवधि में रूपये 2760=00 का अधिक भुगतान हुआ।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – (घ)(VIII)

2. आलोच्य वर्ष में श्री वीरेन्द्र कुमार एजेन्ट को व्यैतिक वेतन रूपये 130=00 के स्थान पर रूपये 150=00 दिये जाने से वर्ष 2009-10 में रूपये 240=00 का अधिक भुगतान हुआ।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – (घ) II (I)

3. श्री राजेश कुमार शर्मा, अनुचर मुख्य कार्यालय का दिनांक 01.01.06 को रू0 7480=00 के स्थान पर रू0 7700=00 निर्धारित किया गया। इन्हें 220 मूल वेतन का अधिक भुगतान हुआ था। आलोच्य वर्ष 2009-10 में रू0 2640=00 का अधिक भुगतान हो गया है।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – (घ)(I)

4. छठे वेतनमान के बकाया के रूप में 20000 प्रत्येक कर्मचारी हेतु कुल रू0 3660000=00 का भुगतान किया गया जिस पर नियमानुसार 20 प्रतिशत की कटौती नहीं की गयी। अतः रू0 732000=00 का अनियमित भुगतान किया गया।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (ग)(IV)

राजस्व की क्षति -

1. वर्ष 2010-11 का ठेका रू0 80000=00 का अनुबन्ध न कराये जाने से कुल राजस्व रू0 9816=00 की क्षति हुयी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (ग)(I)

2. वर्ष 2010-11 हेतु नीलामी ठेका रू0 102000=00 पर स्टाम्प शुल्क रू0 102000=00 न लगाने एवं आयकर कटौती रू0 2315=00 न करने के कारण राजस्व की कुल रू0 12515 की क्षति हुयी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (ग)(II)

3. वर्ष 2010-11 हेतु नीलामी ठेका रू0 465000=00 पर स्टाम्प शुल्क रूपये 46500=00 न लगाने एवं आयकर कटौती रू0 10555=00 न करने के कारण राजस्व की क्षति रू0 57055=00 की क्षति हुयी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (ग)(III)

10- नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ (वर्ष 2009-10)

1. अधिक/अनियमित/परिहार्य व्यय-

असृजित पदों के विरूद्व दैनिक वेतन पर कर्मचारियों की नियुक्ति करके पालिका द्वारा रू0 576000 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (क)

11- नगर पालिका परिषद, नई टिहरी (वर्ष 2008-09)

1. अधिष्ठान एवं वेतन निर्धारण से सम्बन्धित अनियमिततायें-

शासनादेश संख्या 578/दस/स0वि0/मि0-1/79 दिनांक 16 जून, 1999 के विपरीत असृजित पदों पर कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के पारिश्रमिक पर रू0 14,51,984.00 का अनियमित व्यय किया गया था।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (ग)(अ)

(2) नगरपालिका परिषद में स्वीकृत पदों से अधिक कर्मचारियों के कार्यरत होने के कारण वेतनादि पर लगभग रू0 10,54,956.00 का अनानुमोदित व्यय किया गया था।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (ग)(इ)

2. आय एवं राजस्व की क्षति से संबंधित अनियमिततायें-

(1) रैन बसेरा भवन की छत पर निर्मित 08 दुकानों के किराये में कटौती किये जाने के कारण परिषद को रू0 43,440.00 राजस्व की क्षति हुई थी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (क)(आ)

(2) बौराड़ी स्थित पालिका स्वामित्व की दुकानों की नीलामी की अवशेष धनराशि रू0 5,32,200.00 का वित्तीय वर्ष के अन्त तक भी जमा न हो पाने के कारण परिषद को आर्थिक हानि हो रही थी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (क)(इ)

12- नगर पालिका परिषद, कोटद्वार (वर्ष 2007-08)

1. अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान-

असृजित पदों पर शासनादेश के विपरीत पालिका में ड्राइवर, जूनियर लाइनमैन, लिपिक, सफाई कर्मचारी तथा जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति संविदा पर किये जाने से पालिका परिषद द्वारा रू0 1169813=00 का अनियमित भुगतान किया गया।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – क (13)

13- नगर पालिका परिषद, श्रीनगर (वर्ष 2008-09)

1. अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान-

पालिका द्वारा सफाई कर्मचारी, पर्यावरण मित्र तथा कार्यालय कर्मचारियों की असृजित पदों पर संविदा पर नियुक्ति किये जाने के कारण पालिका को रू0 1278463=00 का अनियमित भुगतान करना पडा था।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (ख) (7)

2. दुर्विनियोग के प्रकरण-

पालिका द्वारा समय-समय पर विभिन्न उददेश्यों हेतु दिये गये रू0 51000=00 के अस्थायी अग्रिमों का समायोजन न होने से उक्त धनराशि के दुर्विनियोग की सम्भावना थी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (ख) (8)

3. आर्थिक क्षति-

समय से कार्य पूर्ण न होने की दशा में ठेकेदारों से उनके बिलों से 10 प्रतिशत अर्थदण्ड की वसूली नहीं की गयी थी जिसके फलस्वरूप पालिका को रू0 188013=00 की आर्थिक क्षति उठानी पडी थी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (ख) (10)

14- नगर पालिका परिषद, पौड़ी (वर्ष 2008-09)

1. राजस्व की क्षति-

पालिका द्वारा निर्धारित दर से कम लाइसेंस शुल्क लिये जाने के फलस्वरूप पालिका को रू0 55000 की आर्थिक क्षति हुयी थी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (3) (क)

2. अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान-

पालिका द्वारा असृजित पदों पर संविदा पर कर्मचारियों की नियुक्ति के फलस्वरूप उनके पारिश्रमिक के रूप में रू0 958010=00 का अनियमित भुगतान करना पडा था।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (4) (घ)

नगर पंचायतें

15- नगर पंचायत, चम्बा, टिहरी गढ़वाल (वर्ष 2009-10)

1. अधिक/अनियमित एवं अमान्य भुगतान -

(1) पथ प्रकाश उपकरण/विद्युत सामग्री क्रय हेतु आमंत्रित अल्पकालीन निविदा में आपूर्तिकर्ता को निविदा दर से अधिक दर पर भुगतान किये जाने के कारण नगर पंचायत द्वारा रू0 41,511.00 का अधिक/अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (ख)

(2) बिना बिल वाउचर एवं कार्यो की माप पुस्तिका में दर्ज किये बिना भुगतान किये जाने तथा कार्य पूर्णता का सत्यापन सक्षम स्तर से नहीं करवाये जाने के कारण निर्माण कार्य के लिये रू0 12,96,836.00 का अनियमित भुगतान किया गया।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (ख)

(3) असृजित पदों पर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के पारिश्रमिक का रू0 610385 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (ड,3.)

2. राजकीय अनुदान एवं ऋणों के उपभोग से संबंधित अनियमिततायें –

पूर्ववर्ती वर्षो में प्राप्त राजकीय अनुदानों एवं ऋणों की अप्रयुक्त अन्तिम अवशेष धनराशियों क्रमशः रू0 2,12,379.00 एवं रू0 5,86,890.00 की अवस्थिति/जमा का कोई भी अभिलेखीय साक्ष्य, कार्यालय में उपलब्ध नहीं था।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (क)

16- नगर पंचायत देवप्रयाग, टिहरी गढ़वाल (वर्ष 2009-10)

1- अनानुमोदित व्यय -

दैवी आपदा में क्षतिग्रस्त परिसम्पत्तियों के मरम्मत एवं पुनर्निर्माण कार्य हेतु वर्ष 2003–04 में स्वीकृत कार्ययोजना पर दिनांक 26–06–2007 तक अनुमोदित लागत से रू0 1,09,200.00 का अनानुमोदित भुगतान किया गया था।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (घ)

2- राजकीय अनुदान एवं ऋणों के उपभोग संबंधि अनियमिततायें-

पूर्ववर्ती वर्षों में प्राप्त राजकीय अनुदानों एवं ऋणों की अप्रयुक्त अन्तिम अवशेष धनराशियां क्रमशः रू0 869711.00 एवं रू0 1117946.00 की अवस्थिति/जमा का कोई भी अभिलेखीय साक्ष्य नगर पंचायत में उपलब्ध नहीं था।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (क) में संदर्भित

17- नगर पंचायत, लण्ढौरा (हरिद्वार) (वर्ष 2009-10)

1- अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान/परिहार्य व्यय-

1. नगर पंचायत द्वारा शासनादेश संख्या 39/xxvii(7)/प0वि0भ/2009 दिनांक 13.02.09 के प्रावधानों के विपरीत कर्मचारियों को पर्वतीय विकास भत्ते के रूप में माह अप्रैल 09 से दिसम्बर 09 तक रूपये 5940=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग- दो (ब) आपत्ति सं0 – 1 (1)

2- आय/राजस्व की क्षति-

वर्ष 2009-10 हेतु स्वीकृत तहबाजारी ठेकों के रूपये 482000=00 की धनराशि पर रू0 9640=00 आयकर की वसूली नहीं की गयी थी।

भाग- दो (ब) आपत्ति सं0 – 1 (3)

2. वर्ष 2009-10 हेतु ठेका तहबाजारी का अनुबन्ध निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पत्र पर न किये जाने के फलस्वरूप स्टाम्प शुल्क के रूप में रू0 48200 की राजस्व की क्षति हुयी थी।

भाग- दो (ब) आपत्ति सं0 – 1 (4)

18- नगर पंचायत, दिनेशपुर (वर्ष 2009-10)

राजस्व की क्षति-

निर्धारित मूल्य के स्टेम्प पेपर पर अनुबन्ध न कराये जाने से रू0 53515=00 की आर्थिक क्षति हुयी थी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (क)

19- नगर पंचायत, सुल्तानपुर पटटी (वर्ष 2009-10)

राजस्व की क्षति-

साप्ताहिक बाजार के ठेके में निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध न किये जाने से रू0 81740=00 के राजस्व की क्षति हुयी थी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (ख)

आर्थिक क्षति-

दुकानों के प्रीमियम की धनराशि वसूल न होने से नगर पंचायत को रू0 301850 की आर्थिक क्षति हुयी थी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (क)

20- नगर पंचायत, भीमताल (वर्ष 2006-07 से 2008-09)

(1) राजस्व की क्षति –

आयकर रू0 1,13,353.00 तथा बिक्रीकर रू0 2,51,897.00 की कटौतियों की धनराशि राजकोष में जमा न किये जाने से राजस्व की रू0 3,65,250.00 क्षति हुयी थी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 6

(2) राजकीय अनुदान से सम्बन्धित अनियमितता –

31 मार्च, 2009 को अवस्थापना निधि में कुल रू0 40,41,329.00 अवशेष था। जिसे समर्पित नहीं किया गया था।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 9

21- नगर पंचायत, हरबर्टपुर (वर्ष 2009-10)

(1) आर्थिक क्षति -

ठेके की बकाया धनराशी वसूल न किये जाने के कारण रू0 169083 की आर्थिक क्षति हुयी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (ठ)

(2) राजस्व की क्षति -

विविध नीलामी ठेकों में निर्धारित स्टाम्प पेपर पर अनुबन्ध न किये जाने के कारण रू0 101870 के राजस्व की क्षति हुयी थी ।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (ट)

22- नगर पंचायत, डोईवाला (वर्ष 2009-10)

अनियमित भुगतान -

असृजित पदों के विरूद्व संविदा पर नियुक्ति करके रू0 57600=00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (ग)

कृषि उत्पादन मण्डी समितियां

23- कृषि उत्पादन मण्डी समिति, सितारगंज (वर्ष 2007-08 से 2008-09)

आर्थिक क्षति -

1. किरायेदारों से सेवा कर न वसूले जाने से मण्डी समिति को रू0 1,92,687=75 की आर्थिक क्षति हुयी थी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 3

2. दुकानदारों/किरायेदारों से किराया वसूली न किये जाने से मण्डी समिति रू0 10,63,543=00 की आर्थिक क्षति हुयी थी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 4

3. मण्डी शुल्क विलम्ब से जमा करने पर उस पर देय ब्याज न लेने के कारण मण्डी समिति को रू0 33,241=00 की आर्थिक क्षति हुयी थी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 6

24- कृषि उत्पादन मण्डी समिति, देहरादून (वर्ष 2009-10)

(1) अनियमित भुगतान –

मण्डी समिति द्वारा मेन पावर एजेन्सी से वांछित प्रमाण प. लिये बिना सेवा कर के अवशेष के रूप में रू0 245912.00 का अतिरिक्त भुगतान किया गया था।

(स0टि0 भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (ख)

(2) राजस्व की क्षति -

समिति की परिसम्पत्तियों किराया दिनांक 31.03.10 रू0 655195.00 किरायेदार से वित्तीय वर्षान्तर्गत वसूल न किया जाना समिति के आर्थिक हितों के प्रतिकूल था।

(स0टि0 भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (च)

25- कृषि उत्पादन मण्डी समिति, ऋषिकेश (वर्ष 2009-10)

राजस्व की क्षति-

मण्डी समिति द्वारा विभिन्न व्यापारियों एवं किरायेदारों से 31 मार्च, 2010 तक देय किराया वसूल नहीं किया गया था, इससे समिति को रू0 108326.00 की आर्थिक क्षति हुयी थी।

(स0टि0 भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (ख)

अमान्य भुगतान-

2. मण्डी समिति द्वारा विभिन्न मदों में स्वीकृत बजट से अधिक व्यय करने के फलस्वरूप रू0 2234369 का अमान्य व्यय किया गया था।

(स0टि0 भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1 (फ)

26- कृषि उत्पादन मण्डी समिति, मंगलौर हरिद्वार (वर्ष 2009-10)

1- अनानुमोदित व्यय-

मण्डी समिति द्वारा कतिपय मदों में स्वीकृत बजट से रूपये 1075288=90 अधिक व्यय किया गया था। यह व्यय अनानुमोदित व्यय था तथा मान्य नही था।

भाग दो (ब) आपत्ति सं0 1 (क)

2- अधिक/अनियमित/अमान्य भुगतान/परिहार्य व्यय-

मण्डी समिति द्वारा अपना वाहन होते हुए भी अन्य वाहन किराये पर लिये जाने के फलस्वरूप वाहन किराये के रूप में रू0 164400=00 का परिहार्य व्यय किया गया था।

भाग दो (ब) आपत्ति सं0 1 (ख)

3- आय/राजस्व की क्षति-

मण्डी समिति द्वारा तालाब के ठेके पर न दिये जाने के कारण रू0 57000=00 की आर्थिक क्षति हुयी थी।

भाग दो (ब) आपत्ति सं0 1 (घ)

27- कृषि उत्पादन मण्डी समिति, हरिद्वार यूनियन (वर्ष 2009-10)

1- अनानुमोदित व्यय-

मण्डी समिति द्वारा कतिपय मदों में स्वीकृत बजट से रू0 2351716=00 का अनानुमोदित व्यय किया गया था, यह व्यय मान्य नही था।

भाग दो (ब) आपत्ति सं0 1 (क)

28- कृषि उत्पादन मण्डी समिति, लक्सर (हरिद्वार) (वर्ष 2009-10)

1- आय/राजस्व की क्षति-

प्राथमिक आवक रू0 36339600 तथा रू0 17168400 (स्वरूप परिवर्तमन) में प्रयुक्त दर्शा कर मण्डी शुल्क के रूप में रू0 696792 तथा विकास सैस के रूप में रू0 179698 की अपवंचना की गयी थी।

भाग दो (ब) आपत्ति सं0 1 (क)

कृषि उत्पादन मण्डी परिषदें

29- कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उधमसिंहनगर (वर्ष 2007-08)

(1) दुर्विनियोग के प्रकरण-

1. सीमेन्ट कंकीट के मार्गों के निर्माण में रू0 463245=00 मूल्य का पालीथीन बिछाया गया था। जहां तक स्पष्ट हो सका पी0डब्ल्यू0डी0 शिडयूल में मार्ग में पालीथीन के प्रयोग किये जाने का प्राविधान नहीं था न ही इसकी कोई दर निर्धारित थी।

प्रस्तर-2

2. उत्तरांचल बैडमिन्टन एसोसिएशन को सबजूनियर चैम्पियनशिप हेतु रू0 20000=00 का भुगतान किया गया था। यह व्यय मण्डी अधिनियम में निर्धारित प्रयोजन से भिन्न मद पर किया गया था।

प्रस्तर-33(3)

(3) अधिक/अनियमित/परिहार्य/अमान्य भुगतान-

1. श्री श्रवण कुमार शर्मा समन्वयक कर्मचारी चयन परीक्षा को बिना माप दण्ड अनुबन्ध एवं प्राविधान के रू0 100000=00 मानदेय के रूप में भुगतान किया गया था।

प्रस्तर-50(2)(1)

2. चालक मण्डी सहायक, पम्प आपरेटर चपरासी चौकीदार के रिक्त पदों की भर्ती हेतु 6748 आवदेन प. प्राप्त थे इनके साथ रू0 692720=00 शुल्क भी प्राप्त था। इन पदों हेतु कर्मचारी चयन के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं हुयी थी। इस धनराशि को भी अन्य पदों की परीक्षा में व्यय कर लिया गया था। आवेदित उक्त पदों के चयन के लिये कोई कार्यवाही नहीं होने के कारण उक्त रू0 692720=00 सुरक्षित रखा जाना चाहिए था।

प्रस्तर-(50(2)(4)

3. वित्तीय हस्तु पुस्तिका खण्ड-VI प्रस्तर 360 के अनुसार निर्माण कार्यों हेतु विज्ञापन के पश्चात एक माह की समय अवधि देते हुए टेण्डर आमंत्रित किये जाने चाहिये थे परन्तु रू0 40937227=00 के कार्य बिना निविदा आमंत्रित किये कराये गये थे।

प्रस्तर-5

4. मण्डी परिषद की बोर्ड बैठक दिनांक 31.01.2004 के प्रस्ताव-4 के अनुसार स्नातक स्तर के 30 छात्रों हेतु तथा स्नाकोत्तर स्तर के 9 को छात्रवृत्ति रू0 1200 मासिक स्वीकृत थी। इसके विपरित परिषद द्वारा 66 छात्रों को उक्त दर से छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया था। इस पर रू0 350669=00 का अधिक भुगतान हुआ था।

प्रस्तर-48

5. शा0सं0 578/दस-स0वि0मि0-1/99 दिनांक 16.06.1999 के अनुसार व्यवसायिक प्रोत्साहन से भिन्न प्रकार के विज्ञापनों पर व्यय किया जाना निषिद्व था तथापि परिषद द्वारा नववर्ष पर बधाई सन्देश आदि विज्ञापनों पर रू0 552352=00 का व्यय किया गया था।

प्रस्तर- 49 (1)

6. परिषद के वाहन परिषद से भिन्न अधिकारियों/कार्यालयों के साथ सम्बद्व थे। इनके अनुरक्षण पर रू0 369754=00 का व्यय परिषद निधि से किया गया था।

प्रस्तर-37(ख)38(ख)

7. परिषद कर्मचारियों से भिन्न व्यक्तियों को बिना प्राप्ति रसीद के रूप में रू0 32500=00 मानदेय का भुगतान दर्शाया गया था। बिना किसी प्राविधान एवं बिना प्राप्ति रसीदों के दर्शाया गया मानदेय का उक्त व्यय सम्परीक्षा में मान्य नहीं था।

प्रस्तर-46

8. परिषद के उद्देश्यों के विपरित कैटिल डिवलपमेन्ट बोर्ड को रू0 301920=00 का भुगतान वा0सं0 179 दिनांक 14.06.2007 द्वारा किया गया था। इस धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र भी संलग्न नहीं था।

प्रस्तर-35

9. व्यय प्रमाणक सं0 285 दिनांक 25.09.2007 द्वारा श्रीमती भागीरथी देवी को वाहन सं0 यू0पी0 05/0345 का दिनांक 05.07.2007 से 04.08.2007 तंक का किराया 12000=00 में से आयकर कटौती कर रू0 11728=00 भुगतानित थे। वा0सं0 198 दिनांक 02.08.2007 द्वारा उक्त वाहन का दिनांक 05.05.2007 से दिनांक 04.08.2007 तक का किराया रू0 36000=00 में से आयकर कटौती उपरान्त रू0 35184=00 का भुगतान हुआ था। इस प्रकार वाहन का रू0 12000=00 का दोहरा भुगतान हुआ था।

प्रस्तर-39(1)

10. कृषि उत्पादन मण्डी समिति टनकपुर में 2000 मी0ट0 क्षमता के गोदाम निर्माण हेतु रू0 5377309=00 का अनुबन्ध हुआ था। इस अनुबन्धान्तर्गत मात्र् 2592531.00 का कार्य हुआ था। कार्य पूर्ण न होने पर 0.5 प्रतिशत रू0 26887=00 मात्र् का अर्थदण्ड लगाकर कार्य को इसी लेबिल पर पूर्ण मान लिया गया था। शासनादेश सं0 ए0 2-2242/दस-83-17(5)-71 दिनांक 23.12.1983 के अनुसार ठेका निरस्त किये जाने की स्थिति में जमानती राशि पूर्णतः जब्त किया जाना चाहिए था। जमानत अनुबन्ध की धनराशि का 10 प्रतिशत रू0 597730 परिषद में प्रचलित प्रथानुसार अधिकतम रू0 500000.00 थी। इसे जब्त न कर इस मद में कटौती रू0 207402.00 दिनांक 07.08.2007 को ठेकेदार को वापस कर दी गयी थी। इससे संस्था को रू0 47311300 का आर्थिक क्षति हुयी थी।

प्रस्तर-94

11. मैन पावर सिक्योरिटी एजेन्सी को सफाई कर्मियों का पारिश्रमिक रू0 102.00 प्रतिदिन की दर दिया गया था। किन्तु माह सितम्बर 2007 से दिसम्बर तक सफाई कर्मियों एवं मालियों की मस्ट्रोल में अंकित उपस्थिति

की उपेक्षा कर पूर्ण माह कार्यरत दर्शाकर भुगतान किया गया था। इससे परिषद पर कुल रू0 26998.00 का अधिक व्यय भार पडा था।

प्रस्तर-42

12. सिटी क्लब निर्माण हेतु मै0 नरूला कन्स्ट्रक्सन कम्पनी को रू0 7029647 कार्य स्वीकृत था। कार्य की प्रगति अपेक्षा अनुरूप न होने के उल्लेख कर अवशेष कार्य पैरेलल डेविटेबिल एजेन्सी से उच्चतर दरों में कार्य कराये जाने से रू0 597403.00 का कार्य के मूल अनुबन्ध की दरों के सापेक्ष तुलनात्मक रूप से अधिक भुगतान हुआ था।

इंजीरियरिंग कालेज

30- के0एल0 पॉलिटेक्निक रूडकी (वर्ष 2009-10)

वर्ष 2008-09 हेतु अनुसूचित जनजाति छात्रों को समाज कल्याण विभाग से स्वीकृति प्राप्त हुये बिना ही छात्रवृत्ति रू0 171170=00 का भुगतान किया गया।

भाग दो (ब) आपत्ति सं0 1 (क)

विश्वविद्यालय, सम्वर्ती सम्परीक्षायें

31- राष्ट्रीय सेवा योजना कुमायूं विश्वविद्यालय नैनीताल (वर्ष 2008-09 से 2009-10)

(1) अनुमोदित व्यय-

कु0वि0वि0 नैनीताल राष्ट्रीय सेवा योजना प्रकोष्ठ के अन्र्तगत रू0 219145.00 का अनियमित मानदेय का भुगतान किया गया था।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1(द)

(2) आय की क्षति/राजस्व की क्षति से सम्बन्धित अनियमिततायें-

बी0 तथा सी0 सर्टिफिकेट परीक्षा फार्म की बिक्री की सम्पूर्ण आय न प्राप्त किये जाने से रू0 961360.00 की आर्थिक क्षति हुयी थी।

भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1(घ)

32- गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फार्म लेखा, हल्दी पन्तनगर, (वर्ष 2004-05 व 2005-06)

(1) आर्थिक क्षति –

(1) विश्वविद्यालय की विभिन्न इकाईयों व अन्य को की गयी बीज आदि की बिक्री की वसूली न किये जाने से वि0वि0 को रू0 8224411.31 की आर्थिक क्षति हुयी थी।

(सम्परीक्षा आख्या का प्रस्तर-1 (छ))

(2) श्री महबूब खॉ एवं इसरार अहमद ठेकेदार से ठेके की बकाया धनराशि की वसूली न होने से रू0 223800 की आर्थिक क्षति हुयी थी।

(सम्परीक्षा आख्या का प्रस्तर-1 (घ))

(3) मानक से कम उत्पादन होने से फार्म निधि को रू0 72666999.21 की आर्थिक क्षति हुयी थी।

(सम्परीक्षा आख्या का प्रस्तर-1 (ज))

(2) <u>राजस्व की क्षति -</u>

ठेकेदारों से निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पेपरों पर अनुबन्ध न करने से रू0 127700/- के राजस्व की क्षति हुयी थी।

(सम्परीक्षा आख्या का प्रस्तर-1 (ड))

(3) <u>दुरूपयोग –</u>

निर्धारित मानक से अधिक बीज बोया जाना दर्शाकर रू0 419021.00 के गेहूं के बीज का दुरूपयोग किया गया था।

(सम्परीक्षा आख्या का प्रस्तर-1 (ह))

(4) <u>अधिक एवं अनियमित भुगतान –</u>

फार्म अधिकारियों/कर्मचारियों को टेलीफोन भत्ते/रिचार्ज कूपन आदि पर रू0 56351/- का अनियमित भुगतान किया गया था।

(सम्परीक्षा आख्या का प्रस्तर-1 (ध))

33- हेमवती नन्दन बहुगुणा गढवाल विश्वविद्यालय श्रीनगर गढवाल (2006-07)

<u>(1) अनियमित/अमान्य/परिहार्य व्यय-</u>

1. वि0वि0 के शिक्षकों एवं कर्मचारियों को नैत्यिक प्रकृति के कार्यों के निर्वहन हेतु वि0वि0 द्वारा मानदेय के रूप में रू0 1734690 का अनियमित व्यय किया गया था।

(सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) प्रस्तर-10 (1))

2. वि0वि0 द्वारा दैनिक वेतन/संहत वेतन भोगी कर्मचारियों के पारिश्रमिक के रूप में रू0 1455913 का अनियमित व्यय किया गया था।

(सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) प्रस्तर-10 (2))

3. वि0वि0 की आवासीय कालोनियों के विद्युत देयों का भुगतान आवासीय कार्मिकों से न कराकर विश्वविद्यालय द्वारा किये जाने से रू0 82403 का अनियमित भुगतान किया गया था।

(सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) प्रस्तर-11 (ख)(3))

4. वार्षिक परीक्षाओं में प्रयोगात्मक परीक्षा सम्पन्न कराने हेतु मैकेनिक/इलैक्ट्रशियन/गैस मैन/ग्लास गलोबर आदि को शासनादेशों के विपरित मानदेय का भुगतान किये जाने के फलस्वरूप वि0वि0 द्वारा रू0 56360 का अनियमित भुगतान किया गया था।

(सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) प्रस्तर-11 (ख)(7))

5. व्यक्तिगत दूरभाष एवं मोबाइल बिलों का भुगतान विश्वविद्यालय द्वारा किये जाने के कारण रू0 105887 का व्यय अमान्य व्यय था।

(सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) प्रस्तर-11 (ख)(8))

6. फूल टैक्सी किराया पर विश्वविद्यालय द्वारा रू0 13823 का अनियमित भुगतान किया गया था।

(सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) प्रस्तर-11 (ख)(9))

7. अंक पत्र लेखन/मिलान एवं प्रेषण कार्य हेतु उच्च दर से पारिश्रमिक का भुगतान किये जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय द्वारा रू0 130637 का अधिक भुगतान किया गया था।

(सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) प्रस्तर-11 (ग)(24))

8. उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन हेतु शिक्षकों को अधिक दर से पारिश्रमिक का भुगतान किये जाने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय द्वारा रू0 159985 का अधिक भुगतान किया गया था।

(सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) प्रस्तर-11 (ग)(35))

9. विद्युत अनुभाग द्वारा सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना समय-समय पर विद्युतकर्मी की नियुक्ति करके उनके पारिश्रमिक पर रू0 28215 का अनियिमित व्यय किया गया था।

(सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) प्रस्तर-11 (ख)(19))

(3) अधिष्ठान एवं वेतन निर्धारण से सम्बन्धी अनियमितताये-

(1) वर्ष 2006-07 में स्ववित्त पोषित पाठयक्रमों को प्राप्त आय के 40 प्रतिशत से कम धनराशि मुख्य खाते को हस्तान्तरीत किये जाने से विश्वविद्यालय की रू0 2160815 की आय कम हुयी थी।

(सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) प्रस्तर-13(1))

2. विश्वविद्यालय को उपकरण फर्नीचर व अन्य सामग्री आपूर्ति करने वाले फर्मों/एजेन्सीयों से तथा विश्वविद्यालय के अन्यत्र शिक्षकों से आयकर की कटौती न किये जाने के फलस्वरूप रू0 63963 के राजस्व की क्षति हुयी थी।

(सम्परीक्षा आख्या भाग दो (ब) प्रस्तर-13(2))

34- तकनीकी विश्वविद्यालय देहारादून (2008-09 एवं 2009-10)

(1) दुर्विनियोग –

विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न स्टाफ एवं संस्थानों को अस्थाई अग्रिम दिये गये अस्थाई अग्रिम रू0 48555526 का समायोजन न किये जाने से संस्था निधि के दुर्विनियोग होने की सम्भावना थी।

(स0टि0 भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1)

(2) <u>अपव्यय/अनियमित/अधिक व्यय –</u>

विश्वविद्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष के समापन पर अत्यधिक धनराशि 2476073 के फर्नीचर/कार्यालय साज सज्जा सामाग्री क्रय किया गया था। बजट मैनअल के पैरा 207 में स्पष्ट रूप से यह कि वित्तीय वर्ष के समापन पर किसी भी वित्तीय वर्ष में 15 फरवरी के बाद फर्नीचर/कार्यालय साज-सज्जा क्रय नहीं किया जाना चाहिये।

(स0टि0 भाग- दो (ब) प्रस्तर – 28)

2. अधिकारियों के वेतन से वाहन शुल्क की कटौती न होने, कर्नल नौटियाल के भवन का किराया भुगतान करने एवं विज्ञापन व्यय का भुगतान करने एव अनुपस्थित दैनिक वेतन कार्यों के पारिश्रमिक का भुगतान करने के कारण विश्वविद्यालय द्वारा रू0 408972 का अनियमित व्यय किया गया था ।

(स0टि0 भाग- दो (ब) प्रस्तर – 5,6 एवं 7)

3. उत्तर पुस्तिकाओं की आपूर्ति में प्रास्पेक्टस की छपाई उच्च दर से भुगतान करने के फलस्वरूप विश्वविद्यालय द्वारा रू0 208000 का अधिक भुगतान किया गया था ।

(स0टि0 भाग- दो (ब) प्रस्तर – 9 एवं 10)

(3) <u>आर्थिक क्षति/राजस्व से सम्बन्धित अनियमिततायें-</u>

विभिन्न संस्थानों द्वारा सम्बद्वता शुल्क प्राप्त न किये जाने से विश्वविद्यालय को रू0 3024000 की आर्थिक क्षति हुयी।

(स0टि0 भाग- दो (ब) प्रस्तर – 33)

2. विभिन्न संस्थाओं से कम परीक्षा शुल्क प्राप्त करने के कारण विश्वविद्यालय को रू0 4511853 की आर्थिक क्षति हुयी थी।

(स0टि0 भाग- दो (ब) प्रस्तर – 35)

(5) <u>विविध अनियमितता –</u>

वर्ष 2007-08 में बैलेन्सशीट में रू0 3862220.00 की परिसम्पत्तियां अग्रेणीत न किये जाने के फलस्वरूप संस्था के आर्थिक चिटठा की स्थिति स्पष्ट नहीं थी।

(स0टि0 भाग- दो (ब) प्रस्तर – 40)

<u>35- उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून (वर्ष 2005-06)</u>

(1) <u>आर्थिक क्षति-</u>

1. ई0पी0एफ0 ट्रस्ट की धनराशि वर्ष 2005-06 में कर्मचारियों के ई0पी0एफ0 पर देय ब्याज दर 8.5 प्रतिशत से कम ब्याज पर विनियोजित करने के कारण रू0 3093945 की आर्थिक क्षति हुयी थी।

(स0टि0 भाग- दो (ब) प्रस्तर – 1)

2. सहायक आयुक्त ई0पी0एफ0 देहरादून को ई0पी0एफ0 ट्रस्ट बनाने हेतु दी गयी धनराशि रू0 2951040/- वापस होने पर प्रतिवर्ष ब्याज की रू0 358013.00 की आर्थिक क्षति हो रही थी।

(स0टि0 भाग- दो (ब) प्रस्तर – 2)

3. लोनी डिपो में आधार मूल्य से 54 प्रतिशत कम पर नीलाम करने के कारण रू0 68670.00 की आर्थिक क्षति हुयी थी।

(स0टि0 भाग- दो (ब) प्रस्तर – 51)

2. <u>अधिक/अनियमित भुगतान तथा अग्राह्य व्यय-</u>

1. रायवाला विक्रय डिपो में निर्माण कार्य पर रू0 30707.00 का अनियमित भुगतान किया गया था।

(स0टि0 भाग- दो (ब) प्रस्तर – 35)

2. प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक केन्द्रीय हल्द्वानी के व्यय वितरण श्री सी0वी0 काण्डपाल द्वारा कार्य प्रारम्भ होने की तिथि से पूर्व अवधि का अनियमित भुगतान रू0 10456.00 किया गया था।

(स0टि0 भाग- दो (ब) प्रस्तर – 129)

3. प्रभागीय वन विकास प्रबन्धक पूर्वी कालाढूंगी के व्यय वितरण श्री ए0पी0वर्मा (डी0एल0ओ0) द्वारा लोट नं0 109 वर्ष 2004-05 पापूलर 140 घन मी0 तथा जड़ खुदान 75 घन मी0 का अधिक भुगतान रू0 19100.00 किया जाना।

(स0टि0 भाग- दो (ब) प्रस्तर – 121)

4. प्रभागीय वन विकास प्रबन्ध नैनीताल के व्यय वितरण श्री जे0सी0जोशी (डी0एल0ओ0) द्वारा कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता का अधिक भुगतान रू0 13442.00 किया जाना।

(स0टि0 भाग- दो (ब) प्रस्तर – 84)

(3) <u>अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमिततायें-</u>

सहायक लोंगिग अधिकारी वेतनमान 4500-7000 के पद का संविलियन उपलांगिग अधिकारी वेतनमान 5000-8000 पर होने के फलस्वरूप त्रृटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण रू0 61025.00 का अधिक भुगतान किया गया था।

(स0टि0 भाग- दो (ब) प्रस्तर – 9,10,11)

<u>36- उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून (वर्ष 2006-07)</u>

(1) <u>आर्थिक क्षति-</u>

ई0पी0एफ0 ट्रस्ट की धनराशि को कर्मचारियों का देय ब्याज दर से कम ब्याज दर पर विनियोजित किये जाने से आर्थिक क्षति रू0 3487472.00 की आर्थिक क्षति हुयी थी।

(स0टि0 भाग- दो (ब) प्रस्तर – 33)

2. हर्बटपुर डिपों में आधार मूल्य से कम मूल्य पर प्रकाष्ठ की बिक्री के कारण निगम को रू0 273590.00 की आर्थिक क्षति हुयी थी।

(स0टि0 भाग- दो (ब) प्रस्तर – 47)

<u>2. अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमिततायें-</u>

सहायक लॉगिग अधिकारी वेतनमान 4500-7000 के पद का संविलियन उप लागिग अधिकारी के पद पर वेतनमान 5000-8000 होने के फलस्वरूप त्रृटिपूर्ण वेतन निर्धारण के कारण रू0 14904.00 का अधिक भुगतान किया गया।

परिशिष्ट ''क'' भाग-।

(प्रस्तर- 3 में सन्दर्भित)

उपसम्परीक्षा के लेखे –

क्र०सं०	लेखे की श्रेणी	लेखाओं की संख्या
1-	नगर निगम	03
2-	नगर पालिका परिषद	30
3-	नगर पंचायतें	32
4-	विकास प्राधिकरण	05
5-	विश्वविद्यालय	05
6-	डिग्री कालेज	16
7-	इण्टर कालेज	212
8-	उ0मा0विद्यालय	69
9-	जूनियर हाई स्कूल	159
10-	संस्कृत पाठशालायें	70
11-	कृषि उत्पादन मण्डी समितियाँ	20
12-	ट्रस्ट लेखे	42
13-	विविध लेखे	273
14-	उत्तरांचल संस्कृत अकादमी	01
15-	बेसिक शिक्षा समितियाँ	13
16-	वन विकास निगम	01
17-	उत्तरांचल चाय बोर्ड	01
18-	पेंशन निधियाँ	14
19-	उत्तराखण्ड गन्ना अनुसंधान एवं विकास निधि काशीपुर	01
20-	जल संस्थान	01
21-	राष्ट्रीय सेवा योजना	18
योग		986

परिशिष्ट ''क'' भाग-2

(प्रस्तर-3.1 में सन्दर्भित)

(क) सम्वर्ती सम्परीक्षायें :-

(1) गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौ० विश्वविद्यालय पन्तनगर (सामान्य लेखा)		01
(2) -------तदैव------ (फार्म लेखा)		01
(3) हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय श्रीनगर, गढ़वाल।		01
(4) उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी परिषद उधमसिंह नगर।		01
योग		04

(ख) शत-प्रतिशत सम्परीक्षाधीन लेखें :-

(1) इन्जीनियरिंग कालेज		02
(2) मन्दिर समितियाँ		03
(3) राष्ट्रीय सेवा योजना के लेखे		07
(क) विश्वविद्यालय	04	
(ख) माध्यमिक शिक्षा	02	
(ग) प्राविधिक शिक्षा	01	
योग		12
महायोग		16

परिशिष्ट ''ख''

(प्रस्तर-3.2 में सन्दर्भित)

लेखे का नाम एवं सम्बन्धित अधिनियम :-

1- नगर निगम	नगर निगम अधिनियम 1959
2- नगर पालिकायें	नगर पालिका अधिनियम 1916
3- नगर पंचायतें	---तदैव---
4- (क) कृषि उत्पादन मण्डी समितियॉं	उ०प्र० कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम-1964
(ख) राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद	---तदैव---
5- (क) जिला बेसिक शिक्षा समितियॉं	उ०प्र० बेसिक शिक्षा अधिनियम-1972
(ख) बेसिक शिक्षा परिषद	---तदैव---
6- राज्य विश्वविद्यालय	उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम- 1973
7- विकास प्राधिकरण	उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973
8- वन निगम	उ०प्र० वन निगम अधिनियम-1974
9- महाविद्यालय, इण्टर कालेज	वेतन वितरण अधिनियम, शिक्षा संहिता एवं इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम।
10- कृषि विश्वविद्यालय	कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 1958 एवं तदधीन बनाये गये नियम/परिनियम/अध्यादेश।
11- जल संस्थान	उ0प्र0 स्थानीय निधि लेखा अधिनियम 1984 की धारा 2(ग) तथा उ0प्र0 जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम 1975 की धारा 50 के अधिन।

वित्तीय - विनियमावलियॉं

वित्त हस्त पुस्तिका खण्ड-दो,तीन,पॉंच,छः	--	सामान्य रुप से अधिकांश लेखाओं पर लागू।
बजट मैनुअल	--	सामान्य रुप से अधिकांश लेखाओं पर लागू।
समय-समय पर निर्गत शासकीय आदेशों का संकलन	--	सामान्य रुप से अधिकांश लेखाओं पर लागू।

परिशिष्ट ''ग''

(प्रस्तर-5.3 में सन्दर्भित)

शासनादेश संख्या आडिट -1892/दस-78-355(10) दिनांक 21 जून, 1978 द्वारा सम्प्रेक्षेय लेखाओं पर आरोपित सम्परीक्षा शुल्क की दरें :-

(क) सम्वर्ती सम्परीक्षा शुल्क की दर :-

(1) रु० 65000.00 से अनधिक आय पर	05 प्रतिशत
(2) रु० 65000.00 से अधिक परन्तु एक लाख से अनधिक आय पर	रु० 2500.00
(3) रु० एक लाख से अधिक आय पर प्रत्येक रु० 10000.00 या उसके अंश पर	रु० 100.00
(4) न्यूनतम सम्परीक्षा शुल्क	रु० 500.00

(ख) उप सम्परीक्षा शुल्क की दर :-

(1) रु० 65000.00 से अनधिक आय पर	01 प्रतिशत
(2) रु० 65000.00 से अधिक परन्तु एक लाख से अनधिक आय पर	रु० 800.00
(3) रु० एक लाख से अधिक आय पर प्रत्येक रु० 10000.00 या उसके अंश पर	रु० 30.00
(4) न्यूनतम सम्परीक्षा शुल्क	रु० 75.00

(ग) विविध लेखाओं हेतु निर्धारित सम्परीक्षा शुल्क की दर :-

(1) कुल आय पर	0.75 प्रतिशत
(2) न्यूनतम सम्परीक्षा शुल्क	रु० 75.00

(घ) विश्वविद्यालय की उप सम्परीक्षा हेतु निर्धारित सम्परीक्षा शुल्क की दर :-

(1) रु० 65000.00 से अनधिक आय पर	01 प्रतिशत
(2) रु० 65000.00 से अधिक परन्तु एक लाख से अनधिक आय पर	रु० 800.00
(3) रु० एक लाख से अधिक आय पर प्रत्येक रु० 10000=00 या उसके अंश पर	रु० 30.00
(4) न्यूनतम सम्परीक्षा शुल्क	रु० 500.00

(च) शत-प्रतिशत सम्परीक्षा शुल्क की दर :-

शत-प्रतिशत सम्परीक्षा शुल्क की दरें वही हैं जो सम्वर्ती सम्परीक्षा हेतु निर्धारित हैं।

(च) विशेष सम्परीक्षा शुल्क की दर :-

एतदर्थ कोई दर निर्धारित नहीं है। सम्परीक्षा में संलग्न कर्मचारियों के वेतन भत्ते एवं लेखन सामग्री आदि का वास्वविक व्यय संस्था से वसूल किया जाता है।

परिशिष्ट ''घ''

(प्रस्तर-7.1 में सन्दर्भित)

क्र०सं०	जनपद का नाम	जिला सम्परीक्षा अधिकारी, कार्यालयों का पता	दूरभाष संख्या
1	देहरादून	हिल ग्रोव स्कूल, कांवली रोड देहरादून। 248001	0135-2744075
2	हरिद्वार	नगर पालिका परिषद, हरिद्वार पिनकोड	01344-220955
3	टिहरी (गढवाल)	विकास भवन, नई टिहरी 249148	01376-232805
4	पौड़ी (गढवाल)	माल रोड, पौड़ी 249001	01368-223477
5	चमोली	पैट्रोल पम्प, नगर पालिका परिषद के नीचे गोपेश्वर (चमोली)	01372- 251486
6	उधमसिंह नगर	पुराना कोषागार भवन किच्छा बाइपास रोड आकांक्षा शोरूम के पास रुद्रपुर (उधमसिंह नगर)	05944-244807
7	नैनीताल	हरिनिवास मिडिल अयारपाटा मल्लीताल, नैनीताल। पिनकोड-263001	05942-237781
8	अल्मोड़ा	गोविन्द आश्रम, रानीधारा मार्ग अल्मोड़ा। पिनकोड-263601	05962-233886
9	पिथौरागढ़	उपाध्याय भवन, टकाना रोड पिथौरागढ़। पिनकोड-262522	05964-22857

परिशिष्ट ''ड.''

(प्रस्तर-7.1 में सन्दर्भित)

सम्वर्ती सम्परीक्षा कार्यालय :-

(1) सहायक निदेशक, गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर (सामान्य लेखा) कुमायूं।

(2) सहायक निदेशक, गोबिन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर (फार्म लेखा) कुमायूं।

(3) सहायक निदेशक, हेमवती नन्दन बहुगुणा विश्वविद्यालय, श्रीनगर (गढवाल)।

राज्य स्तरीय कार्यालय :-

(1) लेखा परीक्षा अधिकारी, वन विकास निगम, नरेन्द्रनगर (अस्थायी मुख्यालय, अरण्य विकास भवन-73, नेहरू रोड, देहरादून)।

(2) लेखा परीक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उधमसिंह नगर।

परिशिष्ट ''च''

2010-11 में निस्तारित अनिस्तारित आपत्तियों का विवरण

जिला	वर्ष की कुल आपत्तियां		वर्ष में निस्तारित		वर्षान्त अवशेष	
	अनुच्छेद	पद	अनुच्छेद	पद	शेष	
नैनीताल	7258	2027	163	11	7095	2016
चमोली	3126	487	104	0	3022	487
रूद्रप्रयाग	1478	105	108	0	1370	105
कृ0उ0म0 परिषद उधमसिंहनगर	796	0	28	0	768	0
गो0ब0प0वि0वि0 सामान्य लेखा	2457	0	57	0	2400	0
पिथौरागढ	2259	0	72	0	2187	0
चम्पावत	847	0	18	0	829	0
हरिद्वार	15491	0	143	0	15348	0
देहरादून	14059	8025	76	0	13983	8025
हे0न0ब0ग0वि0वि0 श्रीनगर	2467	2457	02	0	2465	2457
गो0ब0प0वि0वि0 फार्म लेखा	1339	0	0	0	1339	0
वन विकास निगम	0	0	0	0	0	0
टिहरी गढवाल	7895	1197	06	0	7889	1197
पौडी	5205	0	61	0	5144	0
अल्मोडा	2536	609	0	0	2536	609
उधमसिंहनगर	5979	0	51	0	5928	0
	73192	**14907**	**889**	**11**	**72303**	**14896**

परिशिष्ट ''छ''

प्रान्तीय न्यासों की सूची

(प्रस्तर-11.1 में सन्दर्भित)

1- तारक जयन्ती, गोल्ड मेडल एण्डाउमेंट ट्रस्ट, अल्मोडा।

2- पं0 ईश्वरी दत्त जोशी, स्कालरशिप एण्डाउमेंट फण्ट, अल्मोडा।

3- पदमा जोशी फण्ड, अल्मोडा।

4- लक्ष्मी देवी मेडल एण्डाउमेंट ट्रस्ट, चम्पावत।

5- हरिनन्दन पुनेठा स्कालरशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट, चम्पावत।

6- विक्ट्रो मेमोरियल एक्स सोल्जर्स वेनीवोलेंट फण्ड, अल्मोडा।

7- नार्थ वेस्टर्न रेलवे स्कूल ट्रस्ट फेयरलोन, मसूरी।

8- राजकृष्ण विद्यावती छात्रवृत्ति विन्यास न्यास, देहरादून।

9- टी0सी0 मुकर्जी, होम्योपैथिक डिस्पेंसनरी एण्ड हास्पिटल ट्रस्ट, देहरादून।

10- स्टावेल मैमोरियल एण्डाउमेंट ट्रस्ट, गढवाल।

11- गढवाल सेनिटनरी स्कालरशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट, गढवाल।

12- आर0 मिस्टिस डे एण्डाउमेंट ट्रस्ट यू0पी0, गढवाल।

13- गढवाल क्ले मैमोरियल स्कालरशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट, कर्णप्रयाग।

14- राय महावीर प्रसाद शाह बहादुर धर्मशाला एण्डाउमेंट ट्रस्ट, गढवाल।

15- चन्द्र बल्लभ मैमोरियल एण्डाउमेंट ट्रस्ट, गढवाल।

16- पं0 तारादत्त खंडूरी, स्कालरशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट, गढवाल।

17- ठाकुर शालिग्राम सिंह परमार स्कालरशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट, गढवाल।

18- गोविन्द पाठशाला एण्डाउमेंट ट्रस्ट फण्ड।

19- विक्ट्री मैमोरियल गढवाली एक्स सिर्विसेजर वेनीबोर्लेट फण्ड।

20- श्रीमती सुशीला काला, छात्रवृत्ति न्यास, रूद्रप्रयाग।

21- कुमाउ एण्ड भांवर कल्टिवेटर्स ट्रस्ट फण्ड, नैनीताल।

22- बच्चा सीडसइण्डिजेण्ट पापर ट्रस्ट फण्ड, हल्द्वानी।

23- रैमजे हास्पिटल ट्रस्ट, नैनीताल।

24- बांकेलाल बनवारी लाल हुण्डीवाले स्कालरशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट, नैनीताल।

25- राधेहरि स्कालरशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट, उधमसिंहनगर।

26- लाला चेतराम शाह ठुलगरिया एजुकेशन एण्डाउमेंट ट्रस्ट फण्ड।

27- राय साहब पं0 नारायण दत्त एवं देवीदत्त चिमवाल स्कालरशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट फण्ड।

28- श्री संकट मोचन हनुमान मन्दिर हनुमानगढ, नैनीताल।

29- श्री कैंची हनुमान तथा आश्रम ट्रस्ट, नैनीताल।

30- टामसन कालेज टेस्टोमोनियल फण्ड एण्डाउमेंट, रूडकी।

31- विजयानगरम स्कालरशिप इन टामस इंजीनियरिंग कालेज।

32- फेयरलो मैमोरियल फण्ड।

33- कैलकाट रैलो मैमोरियल फण्ड।

34- सुल्लीवान स्कालरशिप एण्ड मेडल एण्डाउमेंट ट्रस्ट ।

35- जनरल अप्रैन्टिस फण्ड, रूडकी वर्कशाप।

36- बैजनाथ स्कालरशिप फण्ड।

37- फ्रांसिस शैमियर स्कालरशिप फण्ड।

38- गंगादेवी स्कालरशिप एण्डाउमेंट।

39- सुशीला एण्ड जे मित्रा मैमोरियल सिल्वर मेडल फण्ड।

40- सदर डिस्पैंसरी फण्ड, रूडकी।

41- रामचन्द्र स्कालरशिप एण्डाउमेंट ट्रस्ट।

42- गवर्नमेंट आरमन शैमियर हाईस्कूल ट्रस्ट फण्ड।

43- लाला पूरनमल सिल्वर मेडल एण्डाउमेंट ट्रस्ट फण्ड।

44- शीलप्रिया मैमोरियल (स्वीमिंग) ट्रस्ट।

45- श्रीमती सरस्वती बिष्ट स्कालरशिप एण्डाउमेंट फण्ड, अल्मोडा।

46- गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सालय ट्रस्ट, देहरादून।

केन्द्रीय न्यासों की सूची

(1) गढवाल क्षेत्रीय शिक्षा न्यास निधि।

परिशिष्ट''ज''

(कार्यकारी खण्ड में सन्दर्भित)

नगर पालिका परिषदें

क्र० सं०	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित/ परिहार्य भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमितायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित विविध अनियमिततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	नगर पालिका परिषद, ऋषिकेश	2009-10	-	0	0	0	0	7042	168243	0	175285
2	नगर पालिका परिषद, मसरी	2008-09	-	0	0	0	0	3097640	11389752	0	14487382
3	नगर पालिका परिषद, नैनीताल	2007-08 से 2008-09	-	296605	56301	0	0	11228517	0	0	11581423
4	नगर पालिका परिषद, बाजपुर	2009-10	-	493785	0	0	636500	141396	0	0	1271681
5	नगर पालिका परिषद, जसपुर	2008-09	-	505535	0	0	0	0	0	0	505535
6	नगर पालिका परिषद, किच्छा	2008-09	-	1592581	0	0	0	0	0	0	1592581
7	नगर पालिका परिषद, रूद्रपुर	2009-10	-	1782811	0	0	5345367	294140	0	0	7422318
8	नगर पालिका परिषद, मंगलौर	2009-10	-	46530	0	0	0	32820	0	0	79350
9	नगर पालिका परिषद, रूडकी	2009-10	-	318300	737640	0	0	79386	0	0	1135326
10	नगर पालिका परिषद, पिथौरागढ	2009-10	-	576000	0	0	0	0	0	0	576000
11	नगर पालिका परिषद, नई टिहरी	2008-09	-	0	2506940	0	0	575640	0	0	3082580
12	नगर पालिका परिषद, कोटद्वार	2007-08	-	1169813	0	0	0	0	0	0	1169813
13	नगर पालिका परिषद, श्रीनगर	2008-09	-	1278463	0	0	188013	0	51000	0	1517476
14	नगर पालिका परिषद, पौडी	2008-09		958010	0	0	0	55000	0	0	1013010
	योग	-	-	9018433	3300881	0	6169880	15511581	11608995	0	45609770

नगर पंचायतें

क्र० सं०	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित/ परिहार्य भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमितताये	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित /विविध अनियमिततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	नगर पंचायत, चम्बा	2009-10	-	1948732	0	799269	0	0	0	0	2748001
2	नगर पंचायत, देवप्रयाग	2009-10	-	0	0	1987657	0	0	0	109200	2096857
3	नगर पंचायत, लण्ढौरा	2009-10	-	5940	0	0	0	57840	0	0	63780
4	नगर पंचायत, दिनेशपुर	2009-10	-	0	0	0	0	53515	0	0	53515
5	नगर पंचायत, सुल्तानपुर पटटी	2009-10	-	0	0	0	301850	81740	0	0	383590
6	नगर पंचायत, भीमताल	2006-07 से 2008-09	-	0	0	4041329	0	365250	0	0	4406579
7	नगर पंचायत, हर्बटपुर	2009-10	-	0	0	0	169083	101870	0	0	270953
8	नगर पंचायत, डोईवाला	2009-10	-	57600	0	0	0	0	0	0	57600
	योग		-	2012272	0	6828255	470933	660215	0	109200	10080875

कृषि उत्पादन मण्डी समितियां

क्र० सं०	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित/ परिहार्य भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	अनानुमोदित एवं विविध अनियमितताएं	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित /विविध अनियमि_ ततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	कृषि उत्पादन मण्डी, सितारगंज	2007-08 से 2008-09	-	0	0	0	1289472	0	0	0	0	1289472
2	कृषि उत्पादन मण्डी, देहरादून	2007-08	-	245912	0	0	0	655195	0	0	0	901107
3	कृषि उत्पादन मण्डी, ऋषिकेश	2009-10	-	2234396	0	0	0	108326	0	0	0	2342722
4	कृषि उत्पादन मण्डी, मंगलौर	2009-10	-	164400	0	0	0	57000	0	0	1075288	1296688
5	कृषि उत्पादन मण्डी, हरिद्वार यूनियन	2009-10		0	0	0	0	0	0	0	2351716	2351716
6	कृषि उत्पादन मण्डी, लक्सर	2009-10	-	0	0	0	0	179698	0	0	0	179698
	योग	-	-	2644708	0	0	1289472	1000219	0	0	3427004	8361403

कृषि उत्पादन मण्डी परिषद

क्र० सं०	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित/ परिहार्य भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित /विविध अनियमि_ ततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	कृषि उत्पादन मण्डी परिषद रूद्रपुर	2007-08	0	91284843	0	0	0	0	483245	0	91768088
	योग	-	0	91284843	0	0	0	0	483245	0	91768088

इंजीनियरिंग कालेज

क्र० सं०	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित/ परिहार्य भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित /विविध अनियमि_ ततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	के0एल0पालीटेक्निक रूडकी, जनपद हरिद्वार	2009-10	-	171170	0	0	0	0	0	0	171170
	योग	-	-	171170	0	-	-	-	-	-	171170

विश्वविद्यालय सम्वर्ती सम्परीक्षायें

क्र० सं०	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित/ परिहार्य भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	दुर्विनियोग प्रकरण	अनानुमोदित /विविध अनियमिततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	राष्ट्रीय सेवा योजना कुमायू विश्वविद्यालय	2008-09 से 2009-10	-	7041717	2224778	0	88651063	1089060	48974547	4081365	152062530
2	गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय	2004-05 से 2005-06	-	56351	0	0	81115210	127700	419021	0	81718282
3	हे0न0ब0 गढवाल विश्वविद्यालय श्रीनगर, गढवाल	2006-07	-	3892321	2224778	0	7535853	0	0	3862220	17515172
4	तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून	2008-09 से 2009-10	-	3093045	0	0	0	0	48555526	0	51648571
	योग	-	-	14083434	4449556	0	177302126	1216760	97949094	7943585	302944555

उत्तराखण्ड वन विकास निगम

क्र० सं०	लेखे का नाम	अवधि	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित/ परिहार्य भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमिततायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित /विविध अनियमिततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	उत्तराखंड वन विकास निगम, देहरादून	2005-06 से 2006-07	-	73705	61025 14904	0	3520628 3761062	0 0	0 0	0 0	3655358 3775966
	योग	-	-	73705	75929	-	7281690	-	-	-	7431324

सारांश

क्र० सं०	लेखे का नाम	व्यपहरण	अधिक/ अनियमित/ परिहार्य भुगतान	अधिष्ठान सम्बन्धी अनियमित व्यय	राजकीय अनुदानों से सम्बन्धित अनियमितायें	आर्थिक क्षति	राजस्व क्षति	दुर्विनियोग के प्रकरण	अनानुमोदित /विविध अनियमिततायें	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	नगर पालिका परिषर्द	0	9018433	3300881	0	6169880	15511581	11608995	0	45609770
2	नगर पंचायतें	0	2012272	0	6828255	470933	660215	0	109200	10080875
3	कृषि उत्पादन मण्डी समितियों	0	2644708	0	0	1289472	1000219	0	3427004	8361403
4	कृषि उत्पादन मण्डी परिषद	0	91284843	0	0	0	0	483245	0	91768088
5	इन्जीनियरिंग कालेज	0	171170	0	0	0	0	0	0	171170
6	विश्वविद्यालय सम्वर्ती सम्परीक्षा	0	14083434	4449556	0	177302126	1216760	97949094	7943585	302944555
7	उत्तराखण्ड वन विकास निगम	0	73705	75929	0	7281690	0	0	0	7431324
	योग	0	119288565	7826366	6828255	192514101	18388775	110041334	11479789	466367185

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 01 वि0को0वि0से0/264–30–11–2011–400 बुक्स (कम्प्यूटर/रीजियो)।